न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक 283 /2024 हरदा, दिनांक 31.05.2024

//माह जून रिमाण्ड ड्यूटी संशोधित विविध आदेश//

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को **दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे** के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :–

मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जून 2024
01.	श्री मोहित श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., हरदा	2, 9
02.	श्रीमती चेतना रूसिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा	23, 30
03.	श्री संजीव राहॅगडाले, जे.एम.एफ.सी., हरदा	15
04.	श्री प्रेमदीप शाह जे.एम.एफ.सी., हरदा	16, 17

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

03. किसी आकस्मिक दिवस में अवकाश अचानक से घोषित हो जाने पर उपरोक्त दिवस के पूर्व जिस पीठासीन अधिकारी ने रिमाण्ड ड्यूटी की थी उसके द्वारा ही आगामी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।

04. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही/–
(के0 के0 वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 283/7 **/2024** **हरदा, दिनांक** 31/05/24

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ–सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)